

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, कमठाई

प्रकरण सं.:-31/2018


दिनांक:- 22-5-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1150

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी कमठाई व मू.अ.नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम बिलासर तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2071-2074 में खाता संख्या 12 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बिलासर	12	147/99	हेमाराम पुत्र खेता	हेमाराम उर्फ हमीराराम पुत्र खेताराम <u>शेष बदुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 22-5-18



क्रमांक:-लो.अदा./2018/1151-1153

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हेमाराम उर्फ हमीराराम पुत्र खेताराम जाति नाई निवासी बिलासर तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी